

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

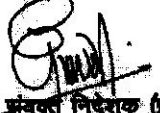
कार्मिक का विवरण:-

क्र. स.	कार्मिक का नाम मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	RITU RANI SHARMA Senior Teacher (II Gr.) (Hindi)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL TIBA SHYOPUR JAIPUR	14-11-1965	Australia and Canada दिनांक 03.04.23 से 17.06.23 (कुल 78 दिवस)
2	SEEMA GUPTA PET (III Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANKH JAIPUR	25-07-1971	SINGAPORE दिनांक 05.02.23 से 10.02.23 (कुल 08 दिवस)
3	JASWEER SINGH BHULLAR PET (III Gr.)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL 11 G CHHOTI GANGANAGAR	20-06-1968	Canada, Calgary दिनांक 26.12.22 से 04.03.23 (कुल 69 दिवस)
4	ANURADHA GIJWANI Teacher (III Gr.) Level 2 (Hindi)	ANUPAM DHINGRA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NO. 4 GANGANAGAR	04-10-1963	SYDNEY AUSTRALIA दिनांक 08.04.23 से 22.07.23 (कुल 106 दिवस)
5	CHETNA DWIVEDI Teacher (III Gr.) Level 2 (Hindi)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHAWA UDAIPUR	22-06-1965	वियतनाम दिनांक 21.01.23 से 30.01.23 (कुल 10 दिवस)
6	ASTHA JAIN Senior Teacher (II Gr.) (Mathematics)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SANTOKPURA, BHILWARA	01-07-1987	Thailand bangkok दिनांक 24.12.22 से 04.01.23 (कुल 12 दिवस)
7	RAINI SHARMA Teacher (III Gr.) Level 2 (Sanskrit)	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALICHA GIRWA UDAIPUR	28-04-1973	HANOI VIETNAM दिनांक 20.01.23 से 31.01.23 (कुल 12 दिवस)
8	BHAVANA JOSHI Senior Teacher (II Gr.) (Hindi)	MAHIPAL GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAGWARA DUNGARPUR	13-09-1985	UK London दिनांक 26.12.22 से 30.03.23 (कुल 95 दिवस)
9	BINDU DAVE Senior Teacher (II Gr.) (Hindi)	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL ANAND NAGAR PALI	11-01-1967	JAMBIA LUSAKA दिनांक 25.12.22 से 15.01.23 (कुल 22 दिवस)

शर्त :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रखा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से निजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विद्यमान नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विद्यमान नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिक्वि-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2022/को-4/ 85-86 दिनांक: 23/12/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित -

- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, पाली संभाग।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जयपुर/श्रीगंगानगर/उदयपुर/भीलवाड़ा/डुंगरपुर/पाली।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- 4- संबंधित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
- 5- संबंधित कार्मिक।
- 6- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

